VIDHAN SABHA MATTER
MOST URGENT/TIME BOUND

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
1-A, CANNING LANE, K. G. MARG, NEW DELHI

F. No. 60 (761)/DWCD/WEC/VS/2018-19 2074-776 **Dated:** 06 AUG 2018

To

The Dy. Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub.:- Reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 242 raised by Sh. Pankaj Pushkar, Hon'ble MLA.

Sir,

Please find the enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 242 raised by Sh. Pankaj Pushkar, Hon'ble MLA for further necessary action at your end. The reply has been approved by the competent authority.

Yours faithfully,

Deputy Director (CPU/ICPS)
Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
1A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001

Dy. Director (CPU/ICPS)

Encl:- As above.

Copy to :-

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM / Minister WCD.
2. Director (DIP) with 150 set of copies.

Dy. Director (CPU/ICPS)

Deputy Director (CPU/ICPS)
Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
1A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001

विभाग का नाम – महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का नाम पता –महिला एवं बाल विकास विभाग
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन , के जी मार्ग , नयी दिल्ली – 110001

F.60(432)/DWCD/WEC/VS/2016/ Date: 0 6 AUG 2018

विषय – विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या -242
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री पंकज पुष्कर

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

महोदय, महिलाओं से सम्बंधित जानकारी के लिए सारणी '1' एवं बच्चों से सम्बंधित जानकारी के लिए सारणी '2' का अवलोकन करें।

<u>सारणी –1</u>
महिलाओं से सम्बंधित जानकारी

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	पूरी दिल्ली में कितनी महिलाएं एवं बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं?	इस विभाग द्वारा महिलाओं के फुटपाथ पर रहने सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । अतः इस सन्दर्भ में आंकड़े उब्लब्ध नहीं है ।
ख	क्या फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है	जी हाँ, फुटपाथ पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए वर्तमान में जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नवत है :-
ग	यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें, और	गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृह :- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वाई डब्लू सी ऐ, एनजीओ के माध्यम से गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है । इन् संस्थाओं मे निराश्रित गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिलाएं जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है को भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान मे ऐसी दो संस्थाएं हैं :- अ. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन ए ब्लॉक, जांहगीर पूरी दिल्ली । दूरभाष संख्या:- ९९७१८०२१४६ ०११- २३६९४१४७ (9971802416, 011-27633148), ईमेल आईडी:- pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org ब. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन, चन्द्र शेखर आज़ाद कालोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली । दूरभाष संख्या:- ९९७१८०२१४६, ९९७१८०२४१५ ०११ २३६९४१४७ (9971802146, 9971802415, 011- 23694147) ईमेल आईडी:- pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org इस विभाग के अंतर्गत निम्न सरकारी संस्थाएं भी महिलाओं को आश्रय

Deputy Director (DPU/ICPS)
Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
1A, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001

		प्रदान करने का कार्य कर रही हैं:- अ. निर्मल छाया:- 1988 से चल रही, 100 महिलाओं की क्षमता के लिये अनुमोदित इस आवासीय संस्था को पूर्णतया अनैतिक व्यापार रोकथाम उन्मूलन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्यवन हेतु चयनित किया गया है, और इसे एक सुरक्षात्मक व सुधारात्मक संस्था के रुप में घोषित किया गया है। इसमें निम्नांकित श्रेणियों की महिलाओं को आवसीय सुविधा प्रदान की जाती है। 1. वेश्यालयों से बचा कर लायी गयी महिलायें व लड़कियां। 2. नैतिक संकट में फ़ंसी महिलायें व लड़कियां। 3. भारतीय दण्ड संहिता की अनुभाग 363, 366 व 376 की पीड़ित महिलायें व लड़कियां। ब. अल्पावास सदन :- संकट में फ़ंसी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को शीघ्र ही अंशकालिक रुप से आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं की नींव रखी गयी है। यह 24 घन्टे उपलब्ध सुविधा है, जहाँ एक स्त्री व महिला को तब तक रखा जाता है, जब तक उसके पुर्नसमायोजन, घर वापसी, बहाली या किसी अन्य उपयुक्त संस्था में रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है। इन संस्थाओं में निम्नलिखित महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है :- 1. महिलायें जो पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा व दुर्वव्यवहार इत्यादि की शिकार है। 2. आवासरहित निराश्रित, गर्भवती महिलाऐं, निष्काषित वे महिलायें जिन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है। 3. असुरक्षित व नैतिक संकटग्रस्त महिलायें व लड़कियां। इसके अतिरिक्त निम्न अल्पावास (एनजीओ द्वारा संचालित) है:- 1. स्नेहालय c/o महिला दक्षता समिति , डी - 2/45, किदवई नगर(पश्चिम), संस्था का पता- 31 X, कडकडडुमा नई दिल्ली-23 दूरभाष -22375113 2. बापनूघर c/o ऑल इडिया वूमेन कॉन्फ़ेरन्स 6, भगवानदास रोड नई दिल्ली, दूरभाष -23381377, 23384092 इन संस्थाओं में महिलाओं को पुलिस, कोर्ट आदेश, महिला हेल्पलाइन (दिल्ली महिला आयोग या अन्य द्वारा संचालित) या स्वयं महिला के आवश्यकतानुसार आश्रय नहीं होने पर आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है ।
घ	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	मान्य नहीं है

Deputy Director (CPU/ICPS)
Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
Kasturba Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001

सारणी '2'
बच्चों से सम्बंधित जानकारी

[illegible]न संख्या	प्रश्न संख्या	उत्तर
क	पूरी दिल्ली में कितनी महिलाएँ एवं बच्चे फुटपाथ पर रहते है।	इस विभाग द्वारा फुटपाथ पर रह रहे बच्चों से सम्बंधी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में आकड़ा उपलब्ध नहीं हैं
ख	क्या फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों और गर्भवति महिलाओं को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है;	जी हॉ फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है;
ग	यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण दें, और	फुटपाथ पर रह रहे बच्चों को किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बालको की देखरेख और संरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत डाला गया है, परन्तु इस प्रकार के बच्चें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है और ये समितिया बच्चों के मामलें मे उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत निर्णायक अधिकारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 बाल गृह कार्यरत है जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है। (2) विभाग द्वारा दस बाल कल्याण समितियां कार्यरत है। बाल कल्याण समिति ऐसी इकाई है जो कि निराश्रित, अनाथ बच्चों से सम्बधित निर्णय लेने हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत सक्षम समिति हैं। (3) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग पाचवां तल आईएसबीटी, बिल्डिंग का गठन किया है जो कि बच्चों के अधिकार से सम्बधित मामलों की कार्यवाही करता हैं तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए समय–समय पर बनाए गय किसी भी कानून द्वारा और उसके तहत मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों की जांच तथा पुनः निरीक्षण करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माप दण्डों की सिफारिश करता है। (4) दिल्ली सरकार के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना भी चलाई जा रही है, जिसका उद्देशय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुमेद्यता में कमी लाने में योगदान देना है तथा समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत योजनाओं को कार्यरत करना है। (5) इसके अतिरिक्त 87 गैर सरकारी बाल गृह, एवं 13 ओपन शेल्टर होम भी कार्यरत है जिसके अंतगर्त बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, तथा सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती है। इन संस्थाओं मे भी बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।
घ	यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं?	लागू नही होता

उप निदेशक
(बाल संरक्षण इकाई)

Department ... Govt. of ... 1A, Canning Lane, K.G. Marg, ...